न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 111/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/308

वादी	बनाम	प्रतिवादी
गजेन्द्र पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा व जिला बालोतरा		1.गोरधनराम पुत्र बीजाराम 2.गोरधनराम पत्र पेमाराम 3.गोरीशंकर पुत्र गणपतराम 4.सत्यनारायण पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी सुबदण्ड तहसील लूणी जिला जोधपुर 5.गोपालराम पुत्र जैरूपाराम जाति जाट निवासी माजीवाला 6.फरसाराम पुत्र जैरूपाराम जाट निवासी माजीवाला तहसील पचपदरा 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी

2.श्री चेलाराम कुमावत प्रतिवादी संख्या 2,3,5 व 6 अधिवक्ता

3.श्री पुनमाराम चौधरी प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता

4.प्रतवादी संख्या 4 व 7 एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) ✽ बालोतरा ✽

निर्णय

दिनांक– 15/09/2025

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1331/851 क्षेत्रफल 2.5293 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 09.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1331/851 क्षेत्रफल 2.5293 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	बचिन्ह
1	गजेन्द्र पुत्र दीपाराम हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा.हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा खातेदार	मण्डापुरा	1331/851	0.2529	A
2	गौरीशंकर पुत्र गणपतराम हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा. शुभदण्ड खातेदार	मण्डापुरा	1331/851	0.2529	B
3	सत्यनारायण पुत्र गणपतराम हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा. शुभदण्ड खातेदार	मण्डापुरा	1331/851	0.5060	C
4	चेलाराम पुत्र सिधाराम हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा. पाल जोधपुर खातेदार	मण्डापुरा	1331/851	0.2529	D
5	गिरधारीराम पुत्र बीजाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.उतेसर तहसील लूणी खातेदार गोरधनराम पुत्र बीजाराम हिस्सा 2/3 जाति जाट सा.सुबदण्ड खातेदार	मण्डापुरा	1331/851	0.7588	E
6	गोपालराम पुत्र जैरूपाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.माजीवाला खातेदार फरसाराम पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. माजीवाला खातेदार	मण्डापुरा	1331/851	0.5058	F

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी होवे खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

15/09/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

15/09/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 111 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 308

वादी बनाम प्रतिवादीगण

गजेन्द्र पुत्र दीपाराम
जाति जाट
निवासी हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा
व जिला बालोतरा

1.गोरधनराम पुत्र बीजाराम
2.गोरधनराम पत्र पेमाराम
3.गोरीशंकर पुत्र गणपतराम
4.सत्यनारायण पुत्र गणपतराम
जाति जाट निवासी सुबदण्ड
तहसील लूणी जिला जोधपुर
5.गोपालराम पुत्र जैरूपाराम
जाति जाट निवासी माजीवाला
6.फरसाराम पुत्र जैरूपाराम जाट
निवासी माजीवाला तहसील पचपदरा
7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः–111 / 2023

निर्णय दिनांक :–15.9.2025

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 व 5,6 की ओर से श्री चेलाराम कुमावत की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 04 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 15.9.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कुलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 15.9.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

15/09/25

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	———	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	———	जोड़	———

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) ✻ बालोतरा ✻

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
11/09/2023